BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 21 OF 2025

IN THE MATTER OF:

News Item titled "Toxic kilns pollution Aravallis; wildlife and locals suffer" appearing in the Tribune dated 28.12.2024

INDEX

S. No.	Particulars	Page Nos.
1.	**SHORT AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD (RSPCB) IN TERMS OF ORDER DATED 22.01.2025**	1-6
2.	**Annexure R-2/1 (Colly)** True copies of photographs taken during the inspection conducted on 24.04.2025 at village Udhanwas Rajasthan, showing the illegal Bhattis/crucibles and associated waste material	7-17

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Through its Counsel

(Nishant Awana/Ekta Kundu)
Advocate
A-320, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi-110024
Ph- 011-35550654, +91-7838760760
nishantawana@outlook.com

Date: 01.05.2025

Place: Delhi

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 21/2025

In Re: News Item titled "Toxic kilns pollution Aravallis; wildlife and locals suffer" appearing in the Tribune dated 28.12.2024

SHORT AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 – RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD (RSPCB)

(In compliance with order dated 22.01.2025)

I, Amit Juyal S/o Shri C. S. Juyal, aged about 52 years, working as Regional officer with the Rajasthan State Pollution Control Board (Respondent No. 2) having its office presently at Bhiwadi, Rajasthan, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Authorized Representative of the answering Respondent in the above-noted matter and am well acquainted with the facts and circumstances of the case based on the records maintained by the answering Respondent. I am competent to swear this affidavit.
2. That the present Original Application has been registered *suo motu* by this Hon'ble Tribunal on the basis of a news item titled "Toxic kilns pollution Aravallis; wildlife and locals

NOTARY A. K. Sharma Distt.-Alwar (Raj.) Regd. No.-5722 GOVT. OF INDIA

अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भिवाड़ी

ATTESTED
NOTARY, ALWAR (Raj.)
01 MAY 2025

suffer" published in *The Tribune* on 28.12.2024, highlighting the operation of illegal and polluting kilns/crucibles along the Haryana-Rajasthan border near the Aravalli range.

3. That in compliance with the order dated 22.01.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, a site inspection was conducted by officers of the answering Respondent on 25.04.2025 in the area mentioned in the news report.
4. During the inspection, local residents of Village Nurpur, Tauru, Haryana were contacted and they informed that illegal kilns or "Bhattis" were operational near the Rajasthan-Haryana border. It was further stated that these units function mostly during late night hours.
5. Acting on this input, the inspection team visited the border area between Village Udhanwas (Rajasthan) and Village Nurpur (Haryana). The team found that multiple illegal crucibles/Bhattis had been set up in the vicinity, some of which fall within the territorial jurisdiction of Village Udhanwas, Rajasthan.
6. A resident, Sh. Wasim, confirmed that approximately 8–10 such crucibles/Bhattis are located within Village Udhanwas (Rajasthan), while others fall under the jurisdiction of

NOTARY A. K. Sharma Distt. Alwar (Raj.) Regd. No. 5722 GOVT. OF INDIA

अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भिवाड़ी

ATTESTED
NOTARY, ALWAR (Raj.)
01 MAY 2025

Haryana. He also informed that these Bhattis operate at night to avoid detection.

7. At the site, a significant quantity of waste rubber cuttings and plastic sheet cuttings from automobiles was found dumped. As per local inputs, this waste is sourced from the Manesar and Gurugram industrial areas.
8. The waste material is reportedly burned or melted in open crucibles, and the resulting molten substance is left under the sun to dry. The dried material is later transported to other locations for grinding.
9. The ground product is used as fuel in brick kilns, these cuttings/sheets/dried melted material is also used as fuel by these units for operating the crucibles/Bhattis.
10. It is most respectfully submitted that these crucibles/Bhattis are operating without obtaining consent from the Rajasthan State Pollution Control Board and are in violation of the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and the Environment (Protection) Act, 1986.
11. Further, no air pollution control devices or safeguards were found at the site during inspection. The emissions from such burning are therefore directly released into the atmosphere,

NOTARY A K Sharma Regd. No. 5722 GOVT. OF INDIA

अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भिवाड़ी

ATTESTED

posing a serious threat to local ecology, public health, and wildlife. True copies of photographs taken during the inspection conducted on 25.04.2025 at Village Udhanwas, Rajasthan, showing the illegal Bhattis/crucibles and associated waste material are annexed herewith as **Annexure R-2/1(Colly).**

12. The operation of these units does not require water or electricity connections, and as such, they evade detection through regular utility usage patterns.

13. Due to the absence of authorized landowners or governmental representatives during inspection, territorial jurisdiction and ownership of the specific parcels of land could not be conclusively established. However, locals informed that the land falls under the category of forest land.

14. In view of the above findings, the matter has been forwarded to the District Administration for further necessary action, including the dismantling of all such illegal crucibles/Bhattis located within Rajasthan's jurisdiction.

15. That the answering Respondent is committed to ensuring environmental compliance and shall extend full cooperation in joint efforts with other authorities. It shall also provide

अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भिवाड़ी

NOTARY ... GOVT. OF INDIA
Sharma
Regd. No. 5722
01 MAY 2025

further information or assistance to this Hon'ble Tribunal as and when directed.

16. That the answering Respondent respectfully submits the above facts for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and undertakes to take any further remedial or regulatory action as may be directed. The answering Respondent craves leave to file additional documents or affidavits, if required or directed by this Hon'ble Tribunal in future.

DEPONENT
अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भिवाड़ी

VERIFICATION

I, Amit Juyal, son of Shri C. S. Juyal, aged about 52 years, working as Regional Officer with the Rajasthan State Pollution Control Board, having its office at Bhiwadi, Rajasthan, do hereby verify on this the 29th day of April, 2025 at Bhiwadi that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief, based on official records. Legal submissions made are based on the advice of counsel, which I believe to be true. No part of this affidavit is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT
अमित जुयाल
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भिवाड़ी

ATTESTED
NOTARY, ALWAR (Raj.)

Deponent Sworn before me and Admitted Correct Hence Attested

Notary Alwar

01 MAY 2025

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भिवाडी ऑफिस :जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph. 01493-221435

राप्रनिमं/क्षे.अ./भिवाडी/लीगल–136/173 दिनांक 28/04/2025

श्रीमान जिला कलक्टर,
जिला खैरथल–तिजारा

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (प्रिन्सीपल बेंच), नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 21/2025 "News item appeared in The Tribune Dated 28-12-2025 titled " Toxic kilns polluting Aravallis; wildlife and locals suffer" के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (प्रिन्सीपल बेंच), नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 21/2025 के क्रम में राजस्थान–हरियाणा की सीमा पर स्थित ग्राम उदनवास में अवैध रूप से स्थापित होकर कार्यरत भट्टीयों का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक 25.04.2025 को किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम उदनवास, राजस्थान में लगभग 08–10 भट्टीयॉ स्थापित है। इन भट्टीयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है तथा राज्य मण्डल से सम्मति भी प्राप्त नहीं की गई है। इन भट्टीयों में मानेसर, गुडगॉव (हरियाणा) एवं अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों से ऑटोमोबाईल उपयोग/रखरखाव से जनित वेस्ट रबर कटिंग्स/शीट कटिंग्स को लाकर गलाया जाता है तथा ईंट भट्टों में उपयोग लिये जाने हेतु ईधन का उत्पादन किया जाता है। इन भट्टीयों द्वारा उत्पाद निर्माण हेतु जल एवं विद्युत की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः इन भट्टीयों द्वारा विद्युत सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया है और ना ही ट्युबवेल खोदे गये है। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24.06.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार बिना भू–संपरिवर्तन कार्यरत उद्योगों पर नियमानुसार कार्यवाही राजस्व विभाग/स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा की जानी है (प्रति संलग्न)।

अतः उक्त प्रकरण श्रीमान के संज्ञान में लाया जाकर निवेदन है कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को आदेश जारी करने की कृपा करें। प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 05.05.2025 को नियत है।

भवदीय
28.4.25
(अमित जुयाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः शाखा प्रभारी (विधि), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

Inspection Report

The Original Application no. 21/2025 was registered by Hon'ble NGT suo moto on the basis of the news item titled "toxic kilns polluting Aravallis; wildlife and locals suffer" published in the tribune dated 07/01/2025.

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi directed vide order sheet dated 22/01/2025 as inter alia:-

"4. The news item raises substantial issues relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.

6. Hence, we implead the following as respondents in the matter:-

(1). Haryana State Pollution Control Board, Through its Member Secretary, C-11, Sector-6, Panchkula, Haryana – 134109.

(2). Rajasthan State Pollution Control Board, Through its Member Secretary, 4, Jhalana Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur- 302004.

(3). Central Pollution Control Board, Through its Member Secretary, "Parivesh Bhawan", East Arjun Nagar, Delhi110032.

(4). Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Regional Office, Jaipur, A-209 & 218, 'Aranya Bhawan', Mahatma Gandhi Road, Jhalana Institutional Area, Jaipur (Raj.) – 304002.

(5). Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Regional Office, Chandigarh, Bays No. 24-25, Sector 31 A, Dakshin Marg, Chandigarh – 160030.

7. Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal"

In compliance of the Hon'ble NGT order sheet dated 22/01/2025, area mentioned in news item titled "toxic kilns polluting Aravallis; wildlife and locals suffer" was visited by the undersigned Board officials on 25/04/2025 and observed that:-

a) During inspection local residents of village – Nurpur, Tauru, Haryana were contacted to enquire about the illegal kilns operating in the area, residents informed that illegal kilns/Bhatti are being operated at Rajasthan-Haryana Border.

b) As per information provided by local residents Haryana-Rajasthan Border Area was visited.

c) During inspection illegal crucibles/Bhatti were found established at Rajasthan (Village – Udhanwas) -Haryana (Village – Nurpur) Border.

d) Local resident Sh. Wasim informed that around 08-10 crucibles/Bhatti are in Village – Udhanwas (Rajasthan) and remaining falls under Haryana State. He also informed that these crucibles/Bhatti are usually operated in late night hours.

e) A large quantity of waste rubber cuttings/plastic sheet cuttings of automobiles were found in the area, locals informed that this waste is coming from Manesar and Gurugram area.

f) It was informed by locals that this waste is melted in crucibles/Bhatti, the melted/molten material left for sun drying.

g) The further processing of this dry material was not observed in this area. It was informed that this material is transported to other location for grinding and the

grinded material is used as fuel by brick kilns, these cuttings/sheets/dried melted material is also used as fuel by these units for operating the crucibles/Bhatti.

h) All these crucibles/Bhatti being established and operated illegally without prior Consent from the State Board.

i) No Air Pollution Control Measures have been installed at crucibles/Bhatti.

j) There is no water and electricity requirement for operation of these crucibles/Bhatti.

k) Due to unavailability of authorized person, identification regarding territory of State could not be verified. Locals informed that this is forest land.

l) In view of above, matter may be forwarded to District administration for further needful action and to dismantle the crucible/Bhatti operating under territory of Rajasthan.

(Rohitash Balai)

AEE, Bhiwadi

(Anil Bairwa)

SSO, Bhiwadi

C/s

28.4.25

Regional Officer

11

Latitude: 28.141504
Longitude: 76.959839
Elevation: 315.55±7 m
Accuracy: 9.9 m
Time: 25-04-2025 12:01
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.141504
Longitude: 76.959839
Elevation: 315.55±7 m
Accuracy: 9.9 m
Time: 25-04-2025 12:01
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.1416
Longitude: 76.959805
Elevation: 312.31±5 m
Accuracy: 6.1 m
Time: 25-04-2025 12:02
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.14152
Longitude: 76.959365
Elevation: 316.67±8 m
Accuracy: 7.1 m
Time: 25-04-2025 12:04
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.141563
Longitude: 76.959351
Elevation: 306.3±3 m
Accuracy: 4.4 m
Time: 25-04-2025 12:04
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.141563
Longitude: 76.959351
Elevation: 306.3±3 m
Accuracy: 4.4 m
Time: 25-04-2025 12:04
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.141024
Longitude: 76.958437
Elevation: 304.23±6 m
Accuracy: 4.6 m
Time: 25-04-2025 12:06
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.140995
Longitude: 76.958445
Altitude: 257.51±11 m
Accuracy: 9.1 m
Time: 25-04-2025 12:06
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

Latitude: 28.141162
Longitude: 76.958006
Elevation: 304.69±5 m
Accuracy: 10.6 m
Time: 25-04-2025 12:12
Note: udhanwas
Powered by NoteCam

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 0141–2711329

बैठक कार्यवाही विवरण

(प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की सम्मति प्रक्रिया से संबंधित अन्तर विभागीय प्रकरणों पर नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24.06.2020)

दिनांक 24.06.2020 को मध्यान्ह पश्चात् 04.00 बजे माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शासन सचिवालय के कमेटी कक्ष संख्या–1 में प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की सम्मति प्रक्रिया से संबंधित अन्तर विभागीय प्रकरणों पर नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों यथा उचित सामाजिक दूरी(Social Distancing), सेनिटाईजर व मास्क का उपयोग आदि का पूरा ध्यान रखा गया। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री पवन कुमार गोयल, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने मुख्य सचिव महोदय एवं समस्त अधिकारीगण का स्वागत किया तथा बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा विगत आठ माह में कन्सेन्ट एप्लीकेशन के त्वरित निस्तारण करने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई वर्षों से लम्बित आवेदनों का निस्तारण किया जा सका, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। मण्डल द्वारा विगत 8 माह में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेकर किये गये कन्सेन्ट एप्लीकेशन के रिकार्ड निस्तारण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

दिनांक 23.09.2019 को मण्डल में लम्बित आवेदनों की संख्या	दिनांक 23.09.2019 से 19.06.2020 तक मण्डल में प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल आवेदन	दिनांक 23.09.2019 से 19.06.2020 तक निस्तारित आवेदनों की संख्या	दिनांक 20.06.2020 को मण्डल में लम्बित आवेदनों की संख्या
8624	7988	16612	12233	4379

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा बताया गया कि शेष 4,379 में से अधिकांश कन्सेन्ट एप्लीकेशन अन्य विभागों से संबंधित अनापत्ति के अभाव में मण्डल में लम्बित हैं। अन्य विभागों से संबंधित अनापत्ति की कन्सेन्ट एप्लीकेशन के निस्तारण में आवश्यकता के सम्बन्ध में श्री विजय सिंघल, सदस्य सचिव द्वारा विभाग वार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न निर्णय/निर्देश दिये गये:–

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा का विवरण	निर्देश/निर्णय	संबंधित विभाग
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1	• कन्सेन्ट एप्लीकेशन प्रस्तुत करते समय औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण की आवश्यकता। • अरूपान्तरित सरकारी भूमि पर स्थापित उद्योगों के लम्बित आवेदनों पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू– रूपान्तरण के अभाव में प्रस्तावित कार्यवाही।	भू–रूपान्तरण से संबंधित विभागों द्वारा संभावना व्यक्त की गई कि बिना वैध भू–रूपान्तरण के स्थापित उद्योगों पर कार्यवाही किया जाना चुनौतीपूर्ण है। अतः निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल बिना औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण के उद्योग/परियोजना की कन्सेन्ट एप्लीकेशन को स्वीकार ना करें। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन प्रारम्भिक तौर पर ही जाँच कर लौटाये जा सकते हैं। मण्डल में लम्बे समय से औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–रूपान्तरण के अभाव में लम्बित आवेदनों को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

		• निजी/राजकीय भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण के स्थापित उद्योगों पर आवश्यक कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा किये जाने का प्रस्ताव।	• सरकारी भूमि पर स्थापित उद्योगों के लम्बित कन्सेन्ट एप्लीकेशनों को स्पष्ट लैण्ड टाईटल नहीं होने तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के अभाव में एक अन्तिम नोटिस देकर निरस्त किया जा सकता है। • बिना भू-संपरिवर्तन कार्यरत उद्योगों पर नियमानुसार कार्यवाही राजस्व विभाग/स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा की जानी है। राजस्व विभाग/स्थानीय निकाय यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में वैधानिक रूप से ही उद्योग की स्थापना औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-सम्परिवर्तन प्राप्त कर ही की जावे।	राजस्व विभाग/ स्थानीय निकाय
2.	2	कन्सेन्ट एप्लीकेशन के साथ केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता।	केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण(सी.जी.डब्ल्यू.ए.) के प्रतिनिधि की उपस्थिति में विस्तृत चर्चा की गई। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एन.जी.टी.) के आदेशानुसार भू-जल दोहन हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा स्थापना सम्मति(CTE) के समय केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण(सी.जी.डब्ल्यू.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की रसीद की प्रति तथा संचालन सम्मति (CTO) के समय केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण(सी.जी.डब्ल्यू.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र ही लिया जावे। इसके अभाव में नये आवेदनों को आवेदन कर्ता को लौटा दिया जावे तथा पुराने लम्बित आवेदनो को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
			मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य में उद्योगों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय निदेशक, सी.जी. डब्ल्यू. बी., जयपुर को निर्देशित किया गया कि सी. जी.डब्ल्यू.बी. के स्तर पर अनापत्ति हेतु लम्बित आवेदनों का भी त्वरित निस्तारण किया जावे।	केन्द्रीय भू-जल वोर्ड(सी.जी.डब्ल्यू.बी.)
			जल संसाधन विभाग को भी निर्देशित किया गया कि वह स्टेट ग्राउण्ड वाटर अथोरिटी की स्थापना हेतु त्वरित कार्यवाही करें।	जल संसाधन विभाग
3.	3	• खनन इकाईयों एवं भवन परियोजनाओं हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ द्वारा जारी क्लीयरेन्स की आवश्यकता। • माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार निकटतम वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी/ नेशनल पार्क/क्रिटीकल	निर्णय लिया गया कि वन विभाग राज्य के ऐसे क्षेत्रों की जिलेवार/तहसीलवार सूची प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को उपलब्ध करायेगा जहाँ नेशनल वोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफ की क्लीयरेन्स की आवश्यकता नहीं है जिससे खनन इकाईयों/परियोजनाओं की अवस्थिति का निर्धारण कर कन्सेन्ट एप्लीकेशन पर निर्णय लिया जा सकता है। सूची में उल्लेखित क्षेत्रों के अतिरिक्त स्थानों पर संबंधित उप वन संरक्षक(DCF) से निकटतम वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी/नेशनल पार्क/क्रिटीकल टाईगर हेबीटेट/ई.एस.जेड. से दूरी के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र लिया जावे। यदि कोई स्थान एक	वन विभाग

		टाईगर हेबीटेट/ई.एस. जेड. से दूरी के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।	से अधिक उप वन संरक्षक(DCF) के क्षेत्राधिकार में आता है तो संबंधित उप वन संरक्षक (DCF) सभी से सूचना लेकर ही अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें। लीजधारक स्वयं वन विभाग से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ ही मण्डल को प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में नये आवेदनों को मण्डल द्वारा आवेदन कर्त्ता को लौटा दिया जावे तथा पुराने लम्बित आवेदनों को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है। निर्देशित किया गया कि खनन विभाग ही यह सुनिश्चित करें कि जिस स्थान पर माईनिंग लीज का आवण्टन किया गया है, वहाँ वर्तमान में भी वैधानिक रूप से माईनिंग अनुमत है या नहीं। यदि किसी भी न्यायालय/ प्राधिकारी/विभाग द्वारा माईनिंग प्रतिबन्धित की गई है तो उस स्थिति में खनन विभाग की ही प्राथमिक जिम्मेदारी है कि ऐसी माईनिंग लीज को निरस्त करने की कार्यवाही करें।	 खनन विभाग
4.	4	खनन इकाईयों हेतु खनन विभाग द्वारा जारी रवन्ना मण्डल की संचालन सम्मति की वैधता से पृथक करने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किये गये हैं जिनको दृष्टिगत रखते हुये ही मण्डल की संचालन सम्मति(CTO) की वैधता को खनि विभाग के रवन्ना प्रबन्धन की ऑन–लाईन प्रक्रिया से जोडा गया है। अतः खनन इकाईयों की प्रभावी मोनिटरिंग हेतु इस प्रक्रिया को जारी रखा जावे। यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी खनन इकाई में नियमों का उल्लघंन पाये जाने पर खनि विभाग सर्वप्रथम माईनिंग लीज निरस्त करेगा तत्पश्चात् ही मण्डल को संचालन सम्मति निरस्त करने हेतु सूचित करेगा।	खनन विभाग/ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल खनन विभाग
5.	5	पर्यावरणीय स्वीकृति(ई.सी.) की कन्सेन्ट एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यकता।	निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति(ई.सी.) तथा मण्डल की सम्मति एक दूसरे के पूरक दस्तावेज हैं। अतः जिन प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक हैं, उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति(ई.सी.) प्रस्तुत किये बिना कन्सेन्ट एप्लीकेशन अपूर्ण मानी जावेगी। इसके अभाव में नये आवेदनों को आवेदन कर्त्ता को लौटा दिया जावे तथा पुराने लम्बित आवेदनों को एक अन्तिम नोटिस देकर अस्वीकृत किया जा सकता है।	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
6.	6	स्थानीय निकाय विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधीन संचालित सीवरेज उपचार संयंत्रों(एस.टी.पी.) के लम्बित कन्सेन्ट एप्लीकेशनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) द्वारा पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना में सभी कस्बों व नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज उपचार संयंत्रों(एस.टी.पी.) की स्थापना की जानी है। इस सम्बन्ध में संबंधित विभाग कार्य योजनायें बनायें। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में लम्बित सीवरेज उपचार संयंत्रों(एस.टी.पी.) के 89 आवेदनों पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग अपने स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त	स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/राजस्थान राज्य प्रदूषण

			करें जो कि प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल में सम्पर्क कर लम्बित आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजो की कमियों को पूर्ण करायें जिससे इनका त्वरित निस्तारण किया जा सके। इस सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के साथ बैठक का भी आयोजन किया जा सकता है।	नियन्त्रण मण्डल
7.	7	राजकीय अस्पतालों के कन्सेन्ट एप्लीकेशन एवं ऑथराईजेशन से सम्बन्धित प्रकरण	राजकीय अस्पतालों के 325 कन्सेन्ट एप्लीकेशन एवं ऑथराईजेशन मण्डल में लम्बित हैं जिसके मुख्य कारण सीवरेज उपचार संयंत्र का ना होना, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि है। निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग **"कोर ग्रुप"** बनाकर कन्सेन्ट एप्लीकेशन के निस्तारण में आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में रोड मैप प्रस्तुत करेंगे।	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग / स्वायत्त शासन विभाग / राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

<u>बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।</u>

(डॉ. विजय सिंघल)
सदस्य सचिव

क्रमांकः F 12 (PSC-36) / RPCB / Jaipur / 491 - 510 दिनांक : 30/06/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खनिज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
16. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
17. आयुक्त उद्योग विभाग, जयपुर।
18. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
19. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण, झालाणा डूँगरी, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव

परिशिष्ठ "अ"

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री पवन कुमार गोयल, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
3. श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री वैभव गेलरिया, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. डॉ. डी.एन. पाण्डे, सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री अरिन्दम तोमर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री उज्जवल राठौर, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. डॉ. विजय सिंघल, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
10. डॉ. एस.के. जैन, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जयपुर।
11. श्री एच.एन. तिवारी, वैज्ञानिक "डी", केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जयपुर।
12. श्री एम. एल. चौधरी, मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
13. श्री अशिम मार्कन्डेय, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
14. श्री एम. एल. चौधरी, मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
15. श्री विजय गजराज, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जयपुर।
16. श्री राजेन्द्र सिंह, प्रबन्धक, रीको, जयपुर।
17. डॉ. राजकुमार सोनी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
18. श्री आर.के. आमेरिया, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. श्री अभय श्रीवास्तव, पर्यावरण विशेषज्ञ, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
20. श्री भूपेन्द्र माथुर, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।